(लोक सभा द्वारा 09.08.2018 को पारित रूप में)

2018 का विधेयक संख्यांक 146-सी

[दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) अमेंडमेंट बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 7 का संशोधन ।

2. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम, कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे । 2017 का 15

धारा 10 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में शेष बची अनुपयोजित है, पचास प्रतिशत, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केंद्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन निर्मुक्त किए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केंद्र से और शेष पचास प्रतिशत राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा ।"।

MGIPMRND—1602LS(CRC)—09.08.2018.